REVISED

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, बिहार

कुष्ठ रोग - एक परिचय

कुष्ठ रोग एक माइकोबैक्टेरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता हैं। वर्ष 1980 के दशक के प्रारम्भ में बहुऔषधि-चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार हुआ, जिसने कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा में एक क्रान्ति ला दी। बहुऔषधि की दवा छः माह से एक साल तक सेवन करने से कुष्ठ रोगी पूर्णतया रोगमुक्त हो जाते हैं। कुष्ठ रोगी को शीघ्रातिशीघ्र चिन्हित कर एम0 डी0 टी0 की दवा शूरू कर देने पर कुष्ठ रोगियों में विकलांगता नहीं आती है ।

बिहार में बहुऔषधि चिकित्सा प्रणाली पूरे राज्य में वर्ष 1996 - 97 में लागू की गयी। वर्ष 1996-1997 से अभी तक बहुऔषधि चिकित्सा द्वारा करीब 15 लाख 40 हजार रोगियों को रोग से मुक्त किया जा चुका है। **कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य कुष्ठ रोगियों का प्रसार दर एक या एक से कम प्रति 10,000 जनसंख्या पर लानी है। मार्च-2011 में बिहार राज्य का रोग प्रसार दर प्रति 10,000 जनसंख्या में 1.12 है।**

वैसे कुष्ठ रोग के संभावित मरीजों में, जो अपना ईलाज देर से शूरू करते हैं उनमें विकलांगता आ जाती है। यह विकलांगता रिकन्स्ट्रक्टीव सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है। रिकन्स्ट्रक्टीव सर्जरी की सुविधा मुजफ्फरपुर में लेप्रोसी मिशन अस्पताल, पटना मेडिकल कॉलेज एवं दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपलब्ध है।

रोगियों की जाँच एवं निदान :-

वर्तमान में जिला, अनुमंडलीय, रेफरल अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुष्ठ रोग की जाँच एवं निदान की सुविधा तथा मुफ्त में एम0 डी0 टी0 दवा प्रत्येक कार्य दिवसों में उपलब्ध है।

दवा की उपलब्धता :-

राज्य में कुष्ठ रोग की एम0 डी0 टी0 दवा जिला अस्पताल से स्वास्थ्य उप-केन्द्रों तथा सरकारी एवं गैर-सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों में आवश्यक मात्रा में उपलब्ध है।

वित्तीय दिशा निर्देशन एवं इकाई राशि

बजट क्रम सख्या- G.1
बजट / एफ0एम0आर0शीर्ष- संविदा पर कार्यरत कर्मचारी
कार्यक्रम का संचालन - जिला स्तर
कार्ययोजना की अवधि- 2011-2012

राज्य के 19 जिलो में जिला कुष्ठ नाभिक दल द्वारा कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु संविदा पर कार्यरत चालक की मानदेय 4500/- प्रतिमाह दी जानी है जिसके लिए 19x4500x12=1026000 रूपये का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2011-12 में किया जाना है।

बजट क्रम सख्या- G.2
बजट / एफ0एम0आर0शीर्ष- आशा कार्यकर्त्ता की प्रशिक्षण एवं मानदेय
कार्यक्रम का संचालन - जिला स्तर
कार्ययोजना की अवधि- 2011-2012

2.1. Sensitization of ASHAs:-

- ग्राम स्तर पर कार्यरत आशा कार्यकत्ताओं की कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में उनकी सशक्त भागीदारी हेतु उन्हें प्रशिक्षित किया जाना है।
- यह प्रशिक्षण प्रखण्ड स्तर पर अर्द्ध दिवसीय होगा । प्रत्येक बैंच में 30 प्रतिभागी होगें ।
- प्रति बैच 1500/- रूपये का प्रावधान किया गया है जिसका उपयोग निम्नलिखित मद में किया जाएगा।
- अल्पाहार- 30 रूपये X 35 =1050 रूपये
- प्रा0 स्वा0 केन्द्र के चि0 पदा0 का मानदेय- 150 रूपये
- प्रा0 स्वा0 केन्द्र के Non Medical Assistant(NMA)/Non Medical Supervisor (NMS) का मानदेय- 75 रूपये
- विविध खर्च - 225 रूपये
- यह प्रशिक्षण प्रखंड स्तर पर कुष्ठ में प्रशिक्षित जिला कुष्ठ नियंत्रण पदाधिकारी/चि0पदा0 कुष्ठ नियंत्रण इकाई/चि0 पदा0,जिला कुष्ठ एवं Non Medical Assistant (NMA)/NMS सम्पन्न करायेगे।

2.2 आशा मानदेयः -

- आशा द्वारा संदर्भित संदिग्ध कुष्ठ रोगी के प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर पुष्टि होने पर एवं उस रोगी के सफलतापूर्वक ईलाज पूर्ण करने पर निम्न मानदेय देने का प्रावधान हैः -
- पी0 बी0 रोगी- 300 रूपये -100 रूपये रोग की पुष्टि होने पर एवं 200 रूपये ईलाज पूर्ण करने पर)
- एम0 बी0 रोगी- 500 रूपये -100 रूपये रोग की पुष्टि होने पर एवं 400 रूपये ईलाज पूर्ण करने पर)
- आशा के मानदेय के लिए प्रत्येक जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को देने हेतु 3000 हजार रूपये प्रति प्रखंड उपलब्ध कराया जायेगा। जिन जिलों में यह राशि खर्च हो जाएगा तो गॉंग के आधार पर राशि उपलब्ध कराया जाएगा।

बजट क्रम सख्या- G.3
बजट / एफ0एम0आर0शीर्ष- कार्यालय खर्च एवं सामग्री
कार्यक्रम का संचालन - जिला स्तर
कार्ययोजना की अवधि- 2011-2012

3.1 - कार्यालय खर्च - प्रत्येक जिला कुष्ठ कार्यालय को टेलीफोन, फैक्स, पोस्टल एवं टेलीग्राफ एवं विविध खर्च हेतु 18000/- रूपये का वार्षिक व्यय का प्रावधान है।

3.2 - सामग्री - स्टेशनरी इत्यादि के मद में प्रत्येक जिलें को 14000/- रूपये का वार्षिक व्यय का प्रावधान है।

बजट क्रम संख्या- G.4
बजट / एफ0एम0आर0शीर्ष- प्रशिक्षण
कार्यक्रम का संचालन - जिला स्तर
कार्ययोजना की अवधि- 2011-2012

4.1 - दो दिवसीय 1410 नये चिकित्सा पदाधिकारियों का मॉडयुलर प्रशिक्षण :-

- प्रत्येक बैच 30 प्रशिक्षुओं का होगा ।
- एक बैच पर 18425/- रूपये राशि आवंटित है। प्रशिक्षण पर खर्च की विवरणी निम्न है:-

- प्रशिक्षकों का मानदेय 150 X 2 = 300/- रूपये प्रति प्रशिक्षक यानि दो प्रशिक्षक हेतु (300 X 2 =600)
- प्रशिक्षुओं का मानदेय कुल 320/- रूपये (320x30=9600)
- अल्पाहार 90/- रूपये प्रति व्यक्ति (90x35x2=6300)
- Learning materials, stationary and etc. 50/- रूपये प्रति व्यक्ति 50x32=1600)
- विविध खर्च 325/- रूपये

4.2 - एक दिवसीय हेल्थ सुपरवाईजर का प्रशिक्षण। (Supervisors, HWs, ANMs, LHVs & Pharmacists)

- एक दिवसीय हेल्थ सुपरवाईजर 70 बैच का प्रावधान किया गया है जो जिलावार अनुलग्नक -1 संलग्न है।
- प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में 30 प्रशिणार्थी होगें। प्रत्येक बैच पर आने वाली खर्च निम्न होगा।
- प्रत्येक बैच पर 7025/- रूपये कि राशि आवंटित है जिसका विवरणी निम्न है:-

- प्रशिक्षकों का मानदेय 150/- रूपये प्रति प्रशिक्षक 2X150=300)
- प्रशिक्षुओं का मानदेय 100/- रूपये 100x30=3000)(पूरे सत्र के लिए)
- अल्पाहार 90/- रूपये प्रति व्यक्ति 90x35=3150)
- दो सहायकों का मानदेय 75/- रूपये प्रतिदिन 75x2=150)
- स्टेशनरी एवं विविध खर्च 425/- रूपये (प्रति बैच)

4.3 - पहले से प्रशिक्षित चिकित्सा पदाधिकारियों का एक दिवसीय re-orientation training

- प्रत्येक बैच 30 चिकित्सक का होगा ।
- प्रत्येक बैच के लिए 10000/- रूपये कि राशि आवंटित है जिसका खर्च विवरणी निम्न है:-

- प्रशिक्षकों का मानदेय 150/- रूपये प्रति प्रशिक्षक 2X150=300)
- चिकित्सकों (प्रशिक्षुओं)का मानदेय 150/- रूपये 150x30=4500)
- अल्पाहार 90/- रूपये प्रति व्यक्ति 35x90=3150)
- दो सहायकों का मानदेय 75/- रूपये 75x2=150)
- Learning materials, stationary and etc. 50/- रूपये प्रति व्यक्ति 50x32=1600)
- विविध खर्च 300/- रूपये

बजट क्रम संख्या- G.5
बजट / एन0एम0आर0शीर्ष- प्रचार- प्रसार
कार्यक्रम का संचालन - जिला स्तर
कार्ययोजना की अवधि- 2011-2012

5.1 - स्कुल क्विज प्रतियोगिता

उद्देश्य - स्कुल के बच्चों एवं अध्यापकों को कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी देना है ताकि बच्चे अपने परिवार के सदस्यों को जानकारी दें एवं अध्यापक स्कूली बच्चों को कुष्ठ रोग के संबंध में जानकारी दें। इसके लिए एन0एम0ए0(Non Medical Assistant)/एन0एम0एस0 (Non Medical Supervisor) को उत्तरदायित्व देना है जो स्कुलों को चिन्हित कर सुक्ष्मकार योजना बनाकर स्कुलों में जाकर कुष्ठ संबंधी जानकारी देकर अथवा क्वीज के पूव कुछ के संबंध में 1-2 पृष्ठ का बेक अप देकर दो दिनों के बाद क्वीज का तिथि निर्धारित कर क्वीज प्रतियोगिता करायेंगे। प्रतियोगिता के पश्चात प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय घोषित कर बच्चों को नगद पुरस्कार प्रशिक्षकों के उपस्थिति में पुरस्कार का वितरण करेगें तथा शिक्षण से अभिप्रमाणित करा लेंगे।

- प्रथम पुरस्कार - 200/- रुपये
- द्वितीय पुरस्कार - 150/- रुपये
- तृतीय पुरस्कार - 100/- रुपये
- प्रतियोगिता में विविध खर्च - 50/- रुपये

- प्रत्येक जिलें के हर प्रखंड में सात मिडिल/हाई स्कूलों में क्विज संपन्न कराये जायेगे।

5.2 - स्वास्थ्य मेला - प्रति मेला 4000/- रूपये
- एक मेला प्रति जिला

प्रत्येक जिले में एक स्वास्थ्य मेला लगाया जाना है जिसमें जन समुदाय में कुष्ठ रोग के बारे में प्रचार-प्रसार कर जागकारी देंगे तथा कुष्ठ रोग को चिन्हित कर निदान होने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन करके तत्काल एम0डी0टी0 द्वारा ईलाज प्रारंभ कर देंगे।

5.3 - दीवाल-लेखन (Wall Writing) – कुष्ठ रोग की जानकारी, लक्षण, निदान, दवा की उपलब्धता आदि की जानकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के दिवाल पर दो जगहों पर करायेंगे जिसके लिए प्रति दीवाल लेखन रू0 700/-X 2 X 533 = 746200/- रुपये का प्रावधान किया गया है।

5.4 - कुष्ठ दिवस मनाने के लिए दस हजार रुपये आवंटित है। कुष्ठ दिवस (30 जनवरी) के अवसर पर प्रचार-प्रसार, ब्लॉक स्तर पर बच्चों की रैली निकालने, जिसमें बच्चों के लिए मिठाई/चाकलेट बॉटा जा सकता है। कुष्ठ से प्रभावित रोगियों के लिए कंबल, चादर या चप्पल भी बॉटें जा सकतें है।

बजट क्रम सख्या- G.6
बजट / एफ0एम0आर0शीर्ष- ईंधन/किराये पर गाड़ी
कार्यक्रम का संचालन - जिला स्तर
कार्ययोजना की अवधि- 2011-2012

कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु Monitoring एवं Supervision अति आवश्यक है । अतः प्रत्येक जिले को वाहन के ईंधन, रख-रखाव या किराये पर वाहन लेने हेतु प्रत्येक जिले को 7500/- रूपये, एक वाहन हेतु प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है।

बजट क्रम सख्या- G. 7
बजट / एफ0एम0आर0शीर्ष- विकलांगता की रोकथाम एवं चिकित्सीय पुर्नवास
कार्यक्रम का संचालन - जिला स्तर
कार्ययोजना की अवधि- 2011-2012

यद्यपि कुष्ठ रोगियों की संख्या लगातार घट रही है परन्तु बहुत से कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति जो पहले से विकलांग हो चुके है उन्हे शल्य चिकित्सा द्वारा ठीक करना एवं जो कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति विकलांग नही हुये है उन्हे विकलांगता से बचाये रखना तथा अल्सर वाले मरीजो का ईलाज विकलांगता की रोकथाम एवं चिकित्सीय पुर्नवास का मुख्य उद्देश्य है। इसके अन्तर्गत माईक्रोसेल्यूलर रबड़ निर्मित चप्पलें, विकलांग व्यक्तियों कि पुर्नशल्य चिकित्सा एवं न्यूराईटिस का ईलाज मुख्य है।

7.1 माईक्रोसेल्यूलर रबड चप्पलें राज्य स्तर पर खरीदे जाऐंगे, लेकिन हर जिला को चाहिए कि कुष्ठ से प्रभावित रोगियों जिनके तलवों में सुन्नापन/जख्म हो, उनकी सूची तैयार कर राज्य को भेजें। भेजे गए सूची के आधार पर जिलों को माईक्रोसेल्यूलर रबड चप्पल उपलब्ध कराए जाऐंगे, जिसे रोगियों के बीच वितरित किया जासके।

7.2 - सहायता एवं साधन - कुष्ठ रोग विकलांगता का एक मुख्य कारण है, यदि कुष्ठ रोग शुरूआत में ही पहचान कर ईलाज किया जाये तो विकलांगता से बचा जा सकता है। इसके अन्तर्गत बैसाखी, स्पिलिंट इत्यादि हेतु 8000/- रूपये प्रत्येक जिले को प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है।

7.3 - पुनर्शल्य चिकित्सा - कुष्ठ रोग से विकलांग व्यक्तियों को पुनर्शल्य चिकित्सा द्वारा पुनः कार्य करने योग्य एवं समाज में स्वीकार्य बनाया जा सकता है। बिहार में पी0 एम0 सी0 एच0, पटना, डी0 एम0 सी0 एच0, दरभंगा एवं टी0 एल0 एम0 हॉस्पिटल, मुजफ्फरपुर में शल्य चिकित्सा द्वारा विकलांगता दुर की जाती है। वर्ष 2011-12 में प्रत्येक कुष्ठ प्रभावित विकलांग व्यक्ति जिसकी शल्य चिकित्सा होगी को 5000/-रूपये तीन किस्तो में 3000 1000. 1000) सहायता देने का प्रावधान है। इस व्यक्ति के परिवार को बी0 पी0 एल0 कार्ड धारक होना आवश्यक है। साथ ही साथ पी0 एम0 सी0 एच0, पटना, डी0 एम0 सी0 एच0, दरभंगा के संबंधित विभाग को ड्रेसिंग मैटेरियल, प्लास्टर ऑफ पेरिस, दवा, स्प्लिंट आदि के लिए 5000/- रूपये प्रति शल्य चिकित्सा दिया जाएगा। पुनर्शल्य चिकित्सा के मद की राशि डी0 एल0 ओ0 ऑफिस पटना, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर से व्यय की जायेगी। टी0 एल0 एम0 मुजफ्फरपुर में शल्य चिकित्सा कराने वाले मरीजों को 5000/- रूपये मिलेंगे परन्तु हॉस्पिटल के ड्रेसिंग मैटेरियल, प्लास्टर ऑफ पेरिस, दवा, स्प्लिंट, आदि के लिए 5000/- रूपये देय नही होंगे।

बजट क्रम संख्या- G.8
बजट / एफएम0आर0शीर्ष- सामग्री एवं वितरण
कार्यक्रम का संचालन - जिला स्तर
कार्ययोजना की अवधि- 2011-2012

8.1 - सहायक दवाऐं - कुष्ठ रोग में विकलांगता का मुख्य कारण न्यूराईटिस एवं रिऐक्शन है। न्यूराईटिस एवं रिऐक्शन को पहचान कर समय पर Prednisolone दवा देना अतिआवश्यक है। अतः इस दवा का विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंडो के अनुसार प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अल्सर के रख-रखाव एवं ईलाज हेतु ड्रेसिंग मैटेरियल की आवश्यकता होती है। -प्रत्येक जिले को 25000/- रुपये प्रतिवर्ष सहायक दवाओं को खरीदने के लिए राशि आवंटित है। कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों को दी जानेवाली सहायक दवाऐं निम्नवत है: -

List of Supportive Medicines for treatment of leprosy patients

Besides the Anti leprosy drugs forming basic components of MDT, the following drugs / material essential to treat the following conditions should be available:-

1. Reactions
2. Disabilities
3. Eye complications
4. Commonly associated general conditions

1. Anti-reaction drugs
   1. Prednisolone
   2. Inj. Dexametasone
   3. Clofazimine (higher doses needed to treat reactions)
   4. Chloroform
   5. Aspirin
2. Material needed for disability cases
   1. Acriflavin Powder 25 gm
   2. Cotton
   3. Roller bandage
   4. Chlorhexidine gluconate (savlon)
   5. Gauze pieces
   6. Adhesive plaster
   7. Zink tapes
   8. Vaseline
   9. Splints of various type
   10. Antibiotic ointment
   11. Sulphonilamide power 250 gm
   12. POP
3. Material for ophthalmic conditions
   1. Atropine eye ointment
   2. Chloramphenicol (eye applicaps) 50x100
   3. Sulphacetamide eye drops 10 ml.
   4. Prednisolone eye drops
4. Drugs needed for general use.
   1. Tab Avil 25 mg
   2. Tab. Paracetamol
   3. Tab. B. Complex
   4. Tab. Iron with Folic Acid
   5. Tab. Dilodoquine Hydrochloride
   6. Tab. Mebaendazole
   7. Cap. Vit A & D
   8. Tab. Brufen
   9. Tab. Septran
   10. Tab. Aluminium Hydroxide
   11. Cap. Teatracycline
   12. Tab. Spasmindon
   13. Tab. Furazolidone
   14. Benzyl Benzoate 450 ml
   15. Tab. Multi Vitamin
   16. Inj. Avil
   17. Inj. 'B' Complex
   18. Inj. Imferon
   19. Inj. Mephentine
   20. Whitfield ointment 450 gm
   21. Tincture Benzoin co. 450 ml
   22. Tincture Iodine 450 ml

8.2 - प्रयोगशाला अभिकर्मक एवं उपकरण - 90 प्रतिशत कुष्ठ रोगी का लक्षणो से ही निदान कर लिया जाता है परन्तु कुछ रोगी कुष्ठ रोग के लक्षणो से नही पहचाने जा सकते है। ऐसे कठिन रोगियो की पहचान स्किन स्मीयर द्वारा की जाती है। जिसके लिए प्रयोगशाला अधिकर्मक एवं उपकरण की आवश्यकता है। ऐसे कठिन रोगी संक्रमक भी होते है। अतः इन रोगियो की तत्काल पहचान कर ईलाज करना रोगी के लिए एवं रोग को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक है। इस मद में 12000/- रुपये प्रति जिला प्रतिवर्ष आवंटित है।

बजट क्रम सख्या- G.9

बजट / एफ0एम0आर0शीर्ष- सामग्री एवं वितरण
कार्यक्रम का संचालन - जिला स्तर
कार्ययोजना की अवधि- 2011-2012

10वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों को कुष्ठ निवारण हेतु विशेष बजट का प्रावधान किया गया है। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तरह Infrastructure का अभाव है। अतः शहरी क्षेत्रों में कुष्ठ उन्मूलन हेतु अतिरिक्त धन राशि का प्रावधान किया गया जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी है।

शहरी क्षेत्र को चार श्रेणियों में विभक्त किया गया है ।
बिहार राज्य में २४ Township एवं ६ Medium City-1 चिन्हित किये गये हैं

कार्य योजना - शहरी कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम परिपत्र संख्या T.160111/7/2000-Lep.(Coord.) of May 2008)

1. स्वास्थ्य सुविधाओं की पहचान
2. स्टेक होल्डर्स को चिन्हित करना
3. स्थानीय नगरपालिका एवं जिला प्रशासन एम0डी0टी0 सेवा निर्गत करने हेतु मुख्य केन्द्र होंगे।
4. संवेदनीकरण बैठक का आयोजन
5. शहरी कुष्ठ उन्मूलन समिति का गठन
6. प्रतिवेदनों के रख-रखाव का तंत्र विकसित करना
7. एम0डी0टी0 दवा की नियमित आपूर्ति एवं मरीजों तक उपलब्धता

Township के लिए आवंटन 50000/- रुपये प्रति Township प्रतिवर्ष

१. सहायक दवाऐं - 8000/- रुपये

2. शहरी कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षात्मक बैठक वर्ष में 4 बार होगी, जिसके लिए 4000/- रुपये प्रति बैठक व्यय की राशि आवंटित है । 4X4000=16000)

3. पर्यवेक्षण हेतु वाहन ईंधन एवं रख-रखाव - 10000/- रुपये प्रतिवर्ष ।

4. आई0 एम0 ए0 के चिकित्सकों का संवेदनीकरण 50 प्रतिभागी 1 बैच - 5000/-)

5. आई0 पी0 सी0 वर्कशॉप - आंगनवाड़ी एवं अन्य गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवी के लिए 5 बैच 40 प्रतिभागी प्रति बैच) के लिए 2000/- रुपये प्रति बैच 2000x5=10000

6. विविध खर्च 1000/- रुपये

कुल खर्च 50000/- रुपये

Medium City I के लिए आवंटन 100000/- रूपये प्रति Medium City I प्रतिवर्ष

1. सहायक दवाऐं - 18000/- रूपये

2. शहरी कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षात्मक बैठक वर्ष में 4 बार - 6500/- रूपये प्रति बैठक 4X6500=26000)

3. पर्यवेक्षण हेतु वाहन ईंधन एवं रख-रखाव - 25000/- रूपये प्रतिवर्ष।

4. आई0 एम0 ए0 के चिकित्सकों का संवेदनीकरण 100 प्रतिभागी 2 बैच 5000/- प्रति बैच) 5000 x 2 = 10000/-

5. आई0 पी0 सी0 वर्कशॉप - आगनवाड़ी एवं अन्य गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवी के लिए 10 बैच 40 प्रतिभागी प्रति बैच) के लिए 2000/- रूपय - 2000 x 10 = 20000/- रूपये

6. विविध खर्च 1000/- रूपये

कुल खर्च 100000/- रूपये

नोट:- विस्तृत ब्योरा आनुषांगिक संलग्न ।

29/6/11

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी का नाम - डा0 ए0 के0 गुप्ता
उपनिदेशक (मु0) स्वा0 सेवायें सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (कुष्ठ)
राज्य कुष्ठ निवारण कार्यालय
स्वास्थ्य भवन, पटना-800006
मोबाईल नम्बर - 9431480648

23/6/2011